



बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1927 (श०)
पटना, बुधवार, 18 जनवरी 2006
(सं० पटना 40)

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचनाएं

7 जनवरी 2006

सं० 26—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 1915) की धारा-90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार, अधिसूचना संख्या-23-137-2, दिनांक-29 अप्रैल, 1919 द्वारा गठित एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली में निम्न संशोधन करता है:—

संशोधन

1. उक्त नियमावली के नियम-33 के उप-नियम (4) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा:—

"(5)—अनुज्ञेय मात्रा से अधिक सुषव के छीजन के लिए जहां आसवनी से सुषव की आपूर्ति पर कोई कराधान नहीं हो, विनिर्माता/भंडारधारक उस समय प्रवृत्त उच्चतर दर पर निर्गमन फीस का भुगतान करेगा।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

राजस्व पर्षद, बिहार-के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार।

7 जनवरी 2006

सं० 26 दिनांक, 7 जनवरी 2006 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

राजस्व पर्षद, बिहार-के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार।

The 7th January 2006

No.26.—In exercise of the powers conferred under sectionn-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act-II, 1915), the Board of Revenue, Bihar makes the following amendment in the Rules, framed vide notification no. 23-137-2, dated the 29th April, 1919 as amended from time to time:—

AMENDMENT

1. The following new sub-rule (5) shall be added after sub-rule (4) of rule-33 of the said Rules:—

"(5) For any wastage of spirit exceeding the permissible quantity, the manufacturer/ warehouse keeper shall pay the issuance fee at the higher rate in force at the time, in case spirit is supplied by the distillery without any duty being levied thereupon."

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Board of Revenue, Bihar
Sd/-illegible,
Secretary, Board of Revenue, Bihar.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 40—571+500—डी०टी०पी०